



संख्या- 6 / प०नि०गो०वि०(1)03 / 2026..... / दिनांक- / 2026

"आदेश"

श्री धर्मेन्द्र कुमार राम, कार्यालय परिचारी, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला गोपनीय शाखा, बक्सर के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, बक्सर द्वारा नगर थाना, बक्सर थाना केस सं० - 07/2020, दिनांक- 02.01.2020 मामले में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के आलोक में श्री राम को न्यायिक हिरासत में लिये जाने की सूचना जिला पदाधिकारी, बक्सर के ज्ञापांक- 100066/गो०, दिनांक- 06.01.2020 के माध्यम से पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया।

उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 नियम के निहित प्रावधानों के तहत पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-44 (नि०), दिनांक-08.01.2020 के द्वारा न्यायिक हिरासत में लिये जाने के तिथि से निलंबित किया गया।

प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर के पत्रांक-22/प०पा०, दिनांक- 14.01.2020 एवं श्री राम के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के समीक्षोपरान्त श्री राम के दिनांक 02.01.2020 से दिनांक 10.01.2020 तक न्यायिक हिरासत में रहने के पश्चात् दिनांक- 11.01.2020 को समर्पित योगदान स्वीकार करते हुए पशुपालन निदेशालय के आदेश ज्ञापांक-606(नि०), दिनांक- 20.02.2020 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

उक्त आरोप के लिए श्री राम के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-2934 (नि०), दिनांक-14.07.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री राम दिनांक-27.07.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित किया। श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि घटना आकस्मिक एवं अपवाद रूप से घटी थी, जिसके लिए खेद प्रकट करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने की बात कही गयी है।

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14 के निहित प्रावधानों के तहत दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री धर्मेन्द्र कुमार राम, कार्यालय परिचारी, जिला पशुपालन कार्यालय बक्सर को "असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक" का शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।



बिहार सरकार
डेप्टी, मान्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
पटना-800014



- 1- श्री राम के विरुद्ध अधिसूचित शास्ति की प्रविष्टि इनकी सेवा पुस्त में की जायेगी।
- 2- इसको सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।

ह०/-

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक- 6 / प०नि०नो०वि०(1)03 / 2026-11/22(जि०) दिनांक- 22/09/2026

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री धर्मेन्द्र कुमार राम, कार्यालय परिचारी, जिला पशुपालन कार्यालय बक्सर तदेन कार्यालय हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, जुमराँव, बक्सर प्रतिनियुक्त जिला गोपनीय शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर/ प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, जुमराँव, बक्सर/ क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केंद्रीय क्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, बक्सर को उनके ज्ञापांक-100066/गो०, दिनांक-06.01.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, बक्सर को उनके पत्रांक 53/हि०शा०, दिनांक 20.01.2022 एवं 412/हि०शा०, दिनांक 30.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (मु०) अराजपत्रित स्थापना, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।